In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I, Rosera

Name of Presiding Officer- Sri Umesh Kumar

Case No.....384E/2001.... CIS No..214/2019

No. of Accused ...2..

State Vrs Kokai Sada & one other

05.06.2025

अभियुक्तगण कोकाई सदा एवं बेचन सदा अनुपस्थित हैं। वर्तमान अभिलेख दो अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु निर्धारित है। आदेशफलक दिनांक–13.11.2019 के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विचाराधीन अभियुक्तगण कोकाई सदा एवं बेचन सदा का वाद उनकी अनुपस्थिति के कारण सत्रवाद संख्या–384/2001 से प्रस्तुत सत्र वाद के रूप में पृथक किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक–10.12.2019 को एक अभियुक्त बेचन सदा द्वारा न्यायालय में आत्म–समर्पण किया गया, जिसके उपरान्त उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दिनांक–07.03.2020 को उक्त काराधीन अभियुक्त बेचन सदा को वर्तमान न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया, जिस आदेश के आलोक में दिनांक–16.03.2020 को काराधीन अभियुक्त बेचन सदा द्वारा बंध–पत्र दाखिल किया गया, जिसे सही पाकर उसे न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया। उक्त दोनों अभियुक्तगण लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अभियुक्तों की लगातार अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उन्हें सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया, किन्तु अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण उक्त दोनों अभियुक्तों का बंध–पत्र दिनांक–10.02.2022 को खंडित करते हुए उनके विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया तथा उनकी उपस्थिति हेतु अन्य प्रक्रियायें भी की गयी, किन्तु अभियुक्त बेचन सदा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वहीं अभियुक्त कोकाई सदा के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–82 की कार्रवाई के क्रम में दिनांक–02.05.2025 को संबंधित थाना द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि अभियुक्त कोकाई सदा पिता–बाबूजन सदा, साकिन–घोसदाहा, थाना–हसनपुर, जिला–समस्तीपुर की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस सम्बन्ध में पंचायत वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत राज देवधा, प्रखण्ड हसनपुर, जिला–समस्तीपुर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र भी दाखिल किया गया है।

अतएव मामले के एक अभियुक्त कोकाई सदा, पिता–बाबूजन सदा, साकिन–घोसदाहा, थाना–हसनपुर, जिला–समस्तीपुर की मृत्यु के आधार पर वर्तमान सत्रवाद में उसके विरूद्ध मामले की अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा अभियुक्त बेचन सदा, पेसर–शिबू सदा, साकिन–घोसदाहा, थाना–हसनपुर, जिला– समस्तीपुर को प्रस्तुत वाद में फरार घोषित किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि फरार अभियुक्त बेचन सदा के विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करे तथा उसका नाम फरारी पंजी में अंकित करे। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से धारा–299 द0प्र0सं0 के तहत् किसी भी साक्षी को प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख नियमानुसार अभिलेखगार में जमा करे।

लेखापित,

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,